न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—520/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/520)

1. हिम्मतसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जामोला तहसील मसूदा जिला ब्यावर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती शान्तिदेवी पत्नि बिरदीचंद
2. अशोक कुमार पुत्र बिरदीचंद
3. श्रीमती मंजू पत्नि किशोर कुमार
4. प्रतिभा पुत्री विनोद कुमार
5. आदित्य पुत्र किशोर कुमार नाबालिग जरिए संरक्षक माता श्रीमती मंजू।
6. विक्रम कुमार पुत्र बिरदीचंद
7. प्रशांत कुमार पुत्र बिरदीचंद
   समस्त जाति भांबी निवासी जामोला तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
8. श्रीमती आशा पुत्री बिरदीचंद पत्नि राजकुमार जाति भांबी निवासी व्यापारिक मौहल्ला मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
9. जडाव पत्नि सुवालाल
10. महेन्द्र पुत्र सुवालाल
11. सुरेन्द्र पुत्र सुवालाल
12. नरेन्द्र पुत्र सुवालाल
13. राजेन्द्र पुत्र सुवालाल
    समस्त जाति भांबी निवासी जामोला तहसील मसूदा हाल निवासी ब्यावर।
14. लक्ष्मणसिंह पुत्र नारायणसिंह
15. राजसिंह पुत्र नारायणसिंह
16. इन्द्रराजसिंह पुत्र नारायणसिंह
17. अजीतसिंह पुत्र नारायणसिंह
18. श्रीमती गोविन्दकंवर पुत्री नारायणसिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासी जामोला तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
19. बैंक ऑफ बडौदा शाखा किराप जरिए शाखा प्रबंधक।
20. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2024 राजस्व वाद संख्या 38/2021.

उपस्थितः—

1. श्री दिलीपसिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अमीन काठात अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 13
3. श्री राजीव शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 19
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 20
5. रेस्पोडेंट संख्या 14 से 18 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 07.01.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 38/2021 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 13 ने अपीलांट व अन्य शेष रेस्पोडेंट के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी मसूदा के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को प्रार्थना पत्र का नोटिस जारी किया जिस पर अपीलांट उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर तहसीलदार मसूदा से मौका रिपोर्ट तलब कर अपने आदेश दिनांक 03.07.2024 के द्वारा रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नम्बर 1809 में आने जाने हेतु प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी खसरा नम्बर 1810 रकबा 0.0058 है0 भूमि कम कर रास्ता दिए जाने का आदेश पारित कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 38/2021 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 14 से 18 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने अपीलांट को बिना विधिवत नोटिस दिये एंव बिना सुनवाई व साक्ष्य एंव जवाब का समुचित अवसर प्रदान किये ही अपीलाट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो० का प्रार्थना पत्र दिनांक 2.11.2018 को अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारीज फरमा दिया गया था तथा उक्त वाद को पुनःनम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 26.2.2021 को स्वीकार किया गया जबकि उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलांट को नहीं दिलाई गई तथा ना ही अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया तथा रेस्पो० बिरदीचंद मृतक के वारिसानों की ओर से दिनांक 18.11.2022 को वकालतनामा पेश किया गया और दिनांक 3.7.2024 को अप्रार्थी रेस्पो० का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट की भूमि में से रास्ता देने का आदेश पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि राजस्व एजेन्सी द्वारा मौका रिपोर्ट बनाते समय अपीलांट को जरिये नोटिस तलब कर स्वंतत्र गवाहों (मौजीज मौतबिरान) के समक्ष मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जानी चाहिए थी किन्तु पटवारी हल्का द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करके तहसीलदार मसूदा को प्रस्तुत की और तहसीलदार ने पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट को परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी जबकि तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर मौके की जांच पड़ताल कर अपीलांट को तलब कर पक्षकारान के समक्ष मौके की वास्तविक मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करनी चाहिए थी किन्तु परीक्षण न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ता स्वीकृत करने का गैरकानूनी आदेश पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट विवादित आराजी खसरा नं०

1810 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है इसके बावजूद भी परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट की खातेदारी की आराजी में से भूमि कम करते हुए रेस्पो० को रास्ता दिये जाने का आदेश पारित करने में भूल की है। उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता स्वीकृत करने के लिये तीन महत्वपूर्ण तत्व साबित होना आवश्यक है जो कि आज्ञापक है प्रथम रास्ते की आवश्यकता अत्याधिक हो। द्वितीय वैकल्पिक रास्ता उपलबध न हो तथा सुविधाजनक या सुलभ न हो। तृतीय–नियम 69 की पालना की गयी हो। उक्त प्रकरण में तीनों ही महत्वपूर्ण आज्ञापक सिद्वान्तों की किसी प्रकार पालना नहीं हुई है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज करते हुए रेस्पो० का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत करने में भूल की है। उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है ऐसी स्थिति मे यदि अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी में से रास्ता निकाल दिया गया तो अपीलाट का खेत दो भागों मे विभक्त हो जायेगा जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। इस तथ्य को भी परीक्षण न्यायालय ने नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 38/2021 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि मौजा जामोला पटवार हल्का जामोला तहसील मसूदा में खसरा नंबर 1809 की भूमि का प्रार्थीगण खातेदार दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतू खसरा नंबर 1810 में उत्तरी दिशा में से उपयोग किया जा रहा है, जो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी की भूमि है तथा मौके पर 15 फिट चौडा रास्ता कदिमी बना हुआ है तथा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण राजकीय दरों से रास्ता हेतू भुगतान करने के लिये तैयार है। प्रार्थीगण ने दिनांक 6.6.2018 को हल्का पटवारी से रास्ते हेतू राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतू निवेदन किया किन्तु उन्होनें कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने हेतू 15 फीट चौडा रास्ता खसरा नंबर 1810 में दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर

अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 03.07.2024 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय हाजा द्वारा उक्त पत्रावली को दिनांक 06.11.2025 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था। दिनांक 10.11.2025 को बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने से अपील को पुनः नम्बर पर दर्ज किया जाकर प्रकरण में उभ्यपक्षों की बहस सुनी गई।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौजा जामोला पटवार हल्का जामोला तहसील मसूदा में खसरा नम्बर 1809 की भूमि का प्रार्थी खातेदार दर्ज चला आ रहा है तथा प्रार्थी के पास अपनी आराजीयात में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 1810 को उपयोग में लिया जा रहा है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 1810 में से 15 फीट चौडा रास्ता दिए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कथन किया गया है कि उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने के उपरांत प्रकरण पुनः दिनांक 26.02.2021 को दर्ज होने पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया तथा प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 की पालना नहीं की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए तथा नोटिस के विधिवत रूप से तामील होने के पश्चात भी अपीलांट/अप्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 02.11.2018 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किए जाने के उपरांत प्रकरण को दिनांक 26.02.2021 को पुनः नम्बर पर लिया गया तथा दिनांक 18.11.2022 को अप्रार्थीगण/अपीलांट की तलबी जरिए अखबार साया किए जाने के आदेश पारित किए गए। अप्रार्थीगण/अपीलांट की तलबी जरिए राष्ट्रीय स्तर के अखबार दैनिक नव्ज्योति में किए जाने के पश्चात भी अप्रार्थीगण/अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

तहसीलदार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 15.09.2022 में स्पष्ट अंकन किया गया है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा खसरा नम्बर 1809 में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है तथा खसरा नम्बर 1810 में से प्रार्थी का खसरा नम्बर 1809 में आवागमन नजदीकी व सुविधाजनक है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है।

तहसीलदार द्वारा तैयार नजरी नक्शे से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट को स्वयं की आराजीयात खसरा नम्बर 1809 में आवगमन हेतु सुलभ रास्ता खसरा नम्बर 1810 से ही है। तहसीलदार द्वारा तैयार रिपोर्ट में आवश्यक बिंदुओं का भली भांति उल्लेख करते हुए तैयार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है। चूंकि

प्रार्थी/रेस्पोडेंट के पास अपनी आराजीयात में जाने के लिए मौके पर वैकल्पिक मार्ग का अभाव है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेंट को दिया गया रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के मंशा अनुसार उतना ही दिया गया है जिससे प्रार्थी/रेस्पोडेंट अपनी आराजीयात में सरल व सुगम तरीके से आ जा सके व कृषि यंत्रों को सुविधा की दृष्टि से ले जा सके।

धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध कराने की है तथा रास्ता सुखाधिकार के तहत उपयोग में लिया जाता है। वर्तमान रेस्पोडेंट को अपनी कृषि आराजीयात पर आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्याय की मंशा के अनुकुल है। अतः इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट की खातेदारी आराजीयात में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है व रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। चूंकि प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच के लिए रास्ता होना विधि अनुसार आवश्यक माना गया है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। तहसीलदार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट के उपरांत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित रूप से जांच व परीक्षण करने के बाद विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। अर्थात मौके पर कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता आवश्यकताजनित व युक्तियुक्त होना मानते हुए ही खसरा नम्बर 1810 में से 0.0058 है0 की भूमि हेतु 15 फिट रास्ते कायमी के आदेश दिए गए है। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को साबित नहीं कर पाए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है, जिसकी पुष्टि हाजा न्यायालय द्वारा करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 38/2021 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर